म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रं./बोर्ड/प्रशा/मानव संसा./नि./2024-25/326 भोपाल, दिनांक- 03/05/2024

आदेश

कार्यालयीन निविदा सूचना क्रमांक 197 दिनांक 06.09.2023 से आमंत्रित सिस्टम निविदा क्रमांक 305806 की निविदा प्रति-स्पर्धा में निविदा दर 2% (दो प्रतिशत) कमीशन प्रभार की निविदा आदेश क्रमांक 2665-66 दिनांक 06.10.2023 तथा सह-पठित संशोधन सूचना क्रमांक 2667-68 दिनांक 06.10.2023 से स्वीकृत की जाकर अनुबंध निष्पादन की सूचना प्रेषित की गई थी।

(2) उक्त संदर्भ में निविदाकार मेसर्स आर.बी.एसोसियेट्स भोपाल द्वारा निष्पादित किये गए अनुबंध के अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2674-75 दिनांक 06.10.2023 से उन्हें म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ आंचलिक कार्यालयों/तकनीकी संभाग कार्यालयों एवं कृषि उपज मंडी/उप मंडियों में सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य कार्यों क्रमशः **स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), नीलामी सहायक, सुरक्षा अधिकारी, कम्प्यूटर टायपिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, लिपिक, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, इलेक्ट्रिशियन, वाहन चालक (हल्के एवं मध्यम श्रेणी), सहायक सिक्युरिटी सुपरवाईजर, सुरक्षाकर्मी, भृत्य, सफाईकर्मी/स्वीपर, अप्रशिक्षित माली तथा अन्य मानव संसाधन जैसे प्लम्बर, कारपेन्टर** इत्यादि के लिए मानव संसाधन व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्यादेश जारी किया गया था।

(3) खण्ड क्रमांक (2) में निष्पादित अनुबंध की शर्त क्रमांक (1) अनुसार कार्य अनुबंध की अवधि प्रथमतः 03 वर्ष (तीन वर्ष) तक सेवाएं उपलब्ध कराने तथा अनुबंधकर्ता एजेंसी के संतोषप्रद कार्य प्रदर्शन के आधार पर कार्य की आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से अनुवंध की 03 वर्ष (तीन वर्ष) की अवधि में अधिकतम 01 वर्ष (एक वर्ष) की वृद्धि किये जाने का प्रावधान है।

(4) आदेशित मानव संसाधन प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रस्तावना अंतर्गत कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य कार्यों क्रमशः **स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), नीलामी सहायक, सुरक्षा अधिकारी, कम्प्यूटर टायपिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, लिपिक, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, इलेक्ट्रिशियन, वाहन चालक (हल्के एवं मध्यम श्रेणी), सहायक सिक्युरिटी सुपरवाईजर, सुरक्षाकर्मी, भृत्य, सफाईकर्मी/स्वीपर, अप्रशिक्षित माली तथा अन्य मानव संसाधन जैसे प्लम्बर, कारपेन्टर** इत्यादि के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका था।

(5) इसके उपरांत प्रस्तावना अंतर्गत सिस्टम निविदा क्रमांक 305806 की निविदा प्रति-स्पर्धा में भाग लेने वाले एक अन्य प्रतिभागी बालाजी सिक्युरिटी सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा प्राधिकृत श्री सचिन मोदी, इन्दौर द्वारा मंडी बोर्ड एवं मेसर्स आर.बी.एसोसियेट्स भोपाल के मध्य निष्पादित अनुबंध तथा विभाग द्वारा जारी कार्यादेश को निरस्त करने के लिए

निरन्तर-2

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्रमांक 26434/2023 दायर की गई, जिसमें म0प्र0 शासन, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल तथा मेसर्स आर.बी.एसोसियेट्स भागीदारी फर्म भोपाल को प्रतिवादी बनाया गया।

(6) उक्त याचिका के संदर्भ में प्रथमतः माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा निष्पादित अनुबंध एवं कार्यादेश के क्रियान्वयन को आदेश दिनांक 18.10.2023 से स्थगित किया गया तथा प्रस्तावना अंतर्गत निविदा की शर्त क्रमांक-39 (टाईब्रेकिंग प्रावधान) को विभेदक होने की टिप्पणी की जाकर निविदा के निर्णयदाता प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निविदा/अनुबंध को आदेश दिनांक 06.02.2024 से रद्द किया गया, जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 18.10.2023 के अनुपालन में विभागीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मानव संसाधन की सेवाएं पुनः अस्थाई रूप से सेडमेप से प्राप्त की जा रही है, जिसके लिए बोर्ड द्वारा 10% तथा मंडी समितियों द्वारा 8.75% चार्ज का भुगतान सेडमेप को किया जा रहा है, जो प्रस्तावाना अंतर्गत विभागीय अनुबंध की स्वीकृत निविदा दर 2% कमीशन प्रभार के सापेक्ष अधिक है।

(7) उपरोक्त न्यायिक कल्प आदेश से प्रभावित पक्ष मेसर्स आर.बी.एसोसियेट्स भागीदारी फर्म भोपाल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका क्रमांक (सी) 5545/2024 दायर की गई, जिसमें बालाजी सिक्युरिटी सर्विसेज प्रा.लि. एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया तथा म0प्र0 शासन एवं म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा विशेष अनुमति याचिका क्रमांक (सी) 006480/2024 दायर की गई, जिसमें बालाजी सिक्युरिटी सर्विसेज प्रा.लि. एवं मेसर्स आर.बी.एसोसियेट्स को प्रतिवादी बनाया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2024 से प्रकरण में यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के आदेश प्रसारित किये गये थे ।

(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खण्ड क्रमांक (7) की दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई दिनांक 29.04.2024 को की गई, जिसमें कुछ निर्देशों हेतु की गई मांग को ध्यान में रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराने के प्रस्तावना अंतर्गत अनुबंध के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड को प्रदान की जाकर दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं को ग्रीष्म अवकाश के बाद की सूची में रखे जाने के आदेश प्रसारित किये गए है।

(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खण्ड क्रमांक (8) में प्रसारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के संदर्भ में श्री प्रगति नीखरा, अधिवक्ता ऑन रिकार्ड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जरिए ई-मेल दिनांक 30.04.2024 से उक्त आदेश का अनुपालन करने का परामर्श प्रेषित किया गया है, साथ ही म0प्र0 राज्य के लिए स्थायी अधिवक्ता श्री सन्नी चौधरी द्वारा भी जरिए ई-मेल दिनांक 01.05.2024 से आदेश दिनांक 29.04.2024 के संदर्भ में मानव संसाधन कार्य हेतु बोर्ड के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्यता का आंकलन कर कार्यवाही करने का मत प्रेषित किया गया है।

निरन्तर - 3

(10) इस परिप्रेक्ष्य में किये गए विश्लेषण अंतर्गत यह स्थापित तथ्य प्रश्नगत हेतु प्रकट हुआ है कि मानव संसाधन के कार्य हेतु विभागीय निविदा/अनुबंध अंतर्गत स्वीकृत निविदा दर 2% कमीशन प्रभार के सापेक्ष सेडमेप को भुगतान की जाने वाली राशि अधिक है, जो मंडी बोर्ड/मंडी समितियों के लिए वित्तीय व्यवहार्यता के दृष्टांत उचित नहीं है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना अंतर्गत कार्य के विभागीय अनुबंध को आगे बढ़ाने हेतु प्रदान की गई स्वतंत्रता के अग्रेत्तर कार्यवाही क्रम में विभागीय अनुबंध/कार्यादेश को क्रियाशील किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है।

अतः प्रस्तावना अंतर्गत मानव संसाधन कार्य की निविदा/अनुबंध, माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दौर के आदेश दिनांक 06.02.2024 तथा उक्त संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई उपरांत दिनांक 29.04.2024 को प्रसारित आदेश एवं उक्त आदेश के संदर्भ में खण्ड क्रमांक (9) में अधिवक्ताओं के वर्णित परामर्श/मत के अनुक्रम में वित्तीय व्यवहार्यता की दृष्टि से मानव संसाधन उपलब्ध कराने के विभागीय निष्पादित अनुबंध/कार्यादेश दिनांक 06.10.2023 को बोर्ड/मंडी समितियों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिकाओं पर अंतिम निर्णय अथवा अनुबंधित कार्य अवधि प्रथमतः 03 वर्ष+अधिकतम 01 वर्ष की वृद्धि अर्थात कुल 04 वर्ष की अवधि समाप्त (जो भी पहले) होने की दिनांक तक एतद्द्वारा यथा स्थिति प्रभावशील /क्रियाशील किया जाता है।

मंडी बोर्ड/मंडी समितियों में मानव संसाधन कार्य हेतु निष्पादित अनुबंध प्रस्तावना अंतर्गत खण्ड क्रमांक (6) में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के स्थगन आदेश दिनांक 18.10.2023 के पश्चात् वर्तमान में जारी किये जा रहे आदेश की अवधि तक न्यायिक कार्यवाहियों के अंतर्गत प्रभावशील/क्रियाशील नहीं रहा है, इसलिए मानव संसाधन कार्य के अनुबंध की कार्य अवधि की गणना उक्त आदेश के प्रभावशील होने की दिनांक से की जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

03/05/24
(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मिसल – 4

क्रं./बोर्ड/प्रशा/मानव संसा./नि./2024-25/327 भोपाल, दिनांक 03/05/2024

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2. निज सहायक प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
3. अपर संचालक(वित्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
4. उप संचालक (प्रशासन), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय --------------(समस्त) की ओर कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश क्रमांक 2674-75 दिनांक 06.10.2023 के पालनार्थ ।
6. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग .... (समस्त) की ओर कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश क्रमांक 2674-75 दिनांक 06.10.2023 के पालनार्थ ।
7. भारसाधक अधिकारी /सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... जिला- ....(समस्त) की ओर कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश क्रमांक 2674-75 दिनांक 06.10.2023 के पालनार्थ ।
8. मेसर्स आर.बी. एसोसिएट्स, चतुर्थ तल, प्लाट नम्बर-30, मान्या आर्केड, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल की ओर इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश क्रमांक 2674-75 दिनांक 06.10.2023 के पालनार्थ हेतु।
9. प्रशासन शाखा/स्थापना शाखा/नियमन शाखा/वित्त/स्वीकृति शाखा/प्रांगण शाखा/निर्माण शाखा, एम.आई.एस. शाखा/ सतर्कता शाखा, मंडी बोर्ड मुख्यालय।

03/05/24

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल